Mail / Whatsapp

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रधान कार्यालय – अरण्य विकास भवन, 73 नेहरु रोड, देहरादून
दूरभाष :–0135–2657610, फैक्स :–0135–2655488, ई–मेल: vanvikas12@gmail.com

पत्रांक –वि0–1529 /16–1/E-Auction/क्रेता पंजीकरण/(1) दिनांक 07 जुलाई ,2020

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड वन विकास निगम के प्रकाष्ठ विक्रय डिपुओं में भण्डारित वनोपज प्रकाष्ठ आदि की बिक्री भौतिक सार्वजनिक नीलाम के अतिरिक्त Uttarakhand Forest Development Management Corporation Software (उत्तराखण्ड फोरेस्ट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन सॉफ्टवेयर) UVMS के माध्यम से E-Auction द्वारा किया जायेगा।

वनोपज प्रकाष्ठ एवं जड़–जलौनी आदि की बिक्री के भौतिक सार्वजनिक नीलाम/निविदा में भाग लेने हेतु क्रेताओं के पंजीकरण की व्यवस्था मुख्यालय के **पत्रांक 431/दिनांक 04.05.2002 द्वारा निर्धारित (यथासंशोधित)** वर्तमान में प्रचलन में है।

उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रबन्धन सॉफ्टवेयर (UVMS) के माध्यम से संपन्न होने वाले E-Auction में भाग लेने हेतु E-Auction क्रेता पंजीकरण की व्यवस्था निम्नवत निर्धारित की जाती है :–

(1) E-Auction में केवल E-Auction हेतु पंजीकृत क्रेता ही भाग ले सकतें हैं।
भौतिक सार्वजनिक नीलाम हेतु पंजीकृत क्रेता को भी E-Auction हेतु पंजीकरण कराये जाने की आवश्यकता है।

(2) E-Auction में भाग लेने हेतु इच्छुक क्रेता द्वारा E-Auction क्रेता पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप में यथावांछित औपचारिकता सहित आवेदन पत्र निम्न में से किसी भी प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है :–

प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक	सम्पर्क सूत्र		कोड
	दूरभाष/मो0/लेंडलाइन	ई–मेल	
1	2	3	4
(i) प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक देहरादून	09568003215	dmmdehradun@gmail.com	DSMDDN
(ii) प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक कोटद्वार	9568003216 01382-222169	dmmufdcktw@rediffmail.com	DSMKTW
(iii) प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक रामनगर	9568003217 05947-251233	dmm.ram_nagar@yahoo.com	DSMRMN
(iv) प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक हल्द्वानी	9568003218 05946-254351	dmmhaldwani@gmail.com	DSMHDW
(v) प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक टनकपुर	9568003219 05943-265283	dmm.tanakpur@yahoo.com	DSMTNK

(3) E-Auction क्रेता पंजीकरण प्रमाण पत्र की मान्य अवधि वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) वित्तीय वर्ष अनुसार निर्धारित होगी।

(4) क्रेता को पंजीकरण प्रमाण पत्र अधिकतम 5 वर्ष के लिए जारी किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण अनिवार्य होगा।

(1) 6/7/2020 PTO

(5) **प्रतिभूति धनराशि (Security Deposit)** :- E-Auction क्रेता पंजीकरण हेतु प्रतिभूति/जमानत के रूप में रू0 20,000 (रू0 बीस हजार मात्र) जो एफ0डी0आर0/राष्ट्रीय बचत पत्र या सरकार द्वारा अनुमन्य अन्य माध्यम से संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबंधक के पदनाम बंधक (Pledged) जमा की जानी अनिवार्य है। यह प्रतिभूति/जमानत धनराशि, शर्तों का पालन न करने पर जब्त योग्य है और पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त होने पर वापसी योग्य (Refundable) होगा।

(6) E-Auction क्रेता पंजीकरण हेतु पंजीकरण शुल्क (Registration fee) रू 1,000 (रूपए एक हजार मात्र) (मात्र एक बार पंजीकरण के समय देय) संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के पक्ष में ड्राफ्ट/ई–भुगतान/नगद भुगतान के माध्यम से जमा किया जा सकेगा। पंजीकरण शुल्क गैर वापसी योग्य (Non- Refundable) होगा।

(7) **नवीनीकरण शुल्क** :- **(Renewal Fees)**

पंजीकृत क्रेता को आगामी वर्षों हेतु रू 1000.00 (रूपए एक हजार मात्र) जमा कर प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल में नवीनीकरण कराना होगा। 30 अप्रैल तक नवीनीकरण न कराये जाने पर क्रेता का पंजीकरण ब्लॉक कर दिया जायेगा।

नवीनीकरण शुल्क (पंजीकरण वर्ष में देय नहीं) रू 1,000 (रूपए एक हजार मात्र) प्रतिवर्ष संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के पक्ष में ड्राफ्ट/ई–भुगतान/नगद भुगतान के माध्यम से जमा किया जा सकेगा।

परन्तु एक मुस्त रू 3000/(रूपए तीन हजार मात्र) जमा कर आगामी 4 वर्ष हेतु अग्रिम नवीनीकरण (Advance Renewal) कराया जा सकता है।

(8) **आवेदन पत्र के साथ वांछित अभिलेख** :-

(8.1) पंजीकरण हेतु प्रतिभूति/जमानत धनराशि का प्रमाण मूलप्रति।

(8.2) E-Auction क्रेता पंजीकरण शुल्क बावत् धनराशि की रसीद/प्रमाण।

(8.3) जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति।

(8.4) आयकर सम्बन्धी पैन कार्ड की स्वसत्यापित छायाप्रति।

(8.5) पता हेतु आधार कार्ड/वोटर कार्ड की स्वसत्यापित छायाप्रति।

(8.6) क्रेता या उसके प्रतिनिधि की 3(तीन) नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो।

(8.7) कम्पनी/फर्म की दशा में आवेदक के प्रति अधिकार पत्र की मूल प्रति।

उपरोक्त के अतिरिक्त भी स्वविवेकानुसार संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा अन्य अभिलेख मांगे जा सकते हैं/ पुष्टि हेतु जाँच करायी जा सकती है। क्रेता की विश्वसनीयता एवं अभिलेखों की पुष्टि का दायित्व सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक का है।

(8.8) ई–आक्शन में भाग लेने हेतु, E-Auction क्रेता पंजीकरण प्रमाण पत्र मुख्यालय स्तर से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

(9) संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबंधक द्वारा क्रेता का आवेदन पत्र और यथावांछित पंजीकरण शुल्क/धनराशि की प्राप्ति रसीद एवं वांछित अभिलेखों की पुष्टि करते हुए क्रेता का आवेदन पत्र अपनी संस्तुति सहित E-Notesheet के माध्यम से प्रधान कार्यालय को प्रेषित किये जाने पर मुख्यालय से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा E-Auction क्रेता पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

(10) E-Auction क्रेता पंजीकरण प्रमाण पत्र खो जाने/नष्ट हो जाने/चोरी हो जाने आदि की दशा में संबंधित क्रेता द्वारा इस आशय की प्राथमिकी सम्बन्धी पुलिस थाने में दर्ज कराते हुए मय साक्ष्य निर्गत करने वाले संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबंधक के समक्ष सूचना दी जानी अनिवार्य है, और रू 1000/(रूपये एक हजार मात्र) शुल्क जमा करने पर प्रभागीय विक्रय प्रबंधक की संस्तुति के आधार पर समानार्थ (Duplicate) E-Auction क्रेता पंजीकरण प्रमाण पत्र मुख्यालय स्तर से निर्गत किये जाने की कार्यवाही होगी।

(2) 6/7/2020 PTO

(11) क्रेता द्वारा नीलाम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने, किसी प्रकार का अवैधानिक, अनैतिक कार्य या जमानत धनराशि जमा न करने /नियम शर्तों का उल्लंघन करने पर क्रेता का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्रतिभूति/जमानत/सुरक्षा धनराशि जब्त कर लीं जाएगीं और क्रेता को काली सूचीं में दर्ज कर दिया जाएगा। काली सूचीं में दर्ज होने पर क्रेता उत्तराखण्ड वन विकास निगम के किसीं भीं ई–नीलाम/निविदा में भाग नहीं ले सकेगा।

उपरोक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू किए जाते है।

06.07.2020

प्रबन्ध निदेशक

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

6/7/2020

पत्रांक :–/तद्‌दिनांकित वि/1529

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबन्धक (उ0/कु0)उत्तराखण्ड वन विकास निगम देहरादून/हल्द्वानी।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
3. समस्त प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/अन्य प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम
4. वरिष्ठ लेखा प्रबन्धक (मु0), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून
5. आन्तरिक सम्परीक्षाधिकारी, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून
6. मै0 आई0टी0आई0 लिमिटेड, विभूतिखण्ड गोमतीनगर लखनऊ।
7. प्रति :– (1) गार्ड फाईल (2) शिविर पत्रावली (3) सूचना पट्ट।

06.07.2020.

प्रबन्ध निदेशक

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

6/7/2020

सेवा में,

प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
.... ।

विषय :- उत्तराखण्ड वन विकास निगम के वनोपज प्रकाष्ठ आदि को ई–आक्शन के माध्यम से क्रय हेतु E-Auction क्रेता पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिये अनुरोध पत्र।

महोदय,

आपके विभिन्न डिपुओं में वनोपज प्रकाष्ठ एवं जड़ जलौनी आदि के होने वाले ई–आक्शन में भाग लेने हेतु मैं क्रेता के रूप में पंजीकरण कराना चाहता हूँ। सम्बन्धित विवरण निम्नवत है :-

1. क्रेता का नाम ....
2. प्रतिनिधि का नाम .... पिता का नाम ....
3. मोबाईल न0 .... 4. ई–मेल ....
5. पता ....

   .... राज्य .... पिन | | | | | | |

   आधार कार्ड नम्बर .... 7. स्थायी आयकर खाता (पैन नं0) ....
8. जी0एस0टी0 संख्या .... 9. जमानत हेतु बन्धक धनराशि रू0 20,000/– (रूपये बीस हजार) एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 संख्या .... जारी कर्ता, पो0ओ0/बैंक .... प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक .... के पदनाम बन्धक।
   दिनांक .... पोस्ट ऑफिस/बैंक का नाम .... संलग्न है।
10. पंजीकरण हेतु रू0 1,000/– (रूपये एक हजार) (जी0एस0टी अतिरिक्त) नगद जमा किये जा रहे हैं।
11. पंजीकरण हेतु प्रतिनिधि की तीन फोटो संलग्न की जा रही हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार दिए गए विवरण के आधार पर मुझको/हमको उत्तराखण्ड वन विकास निगम के सभी डिपुओं से वनोपज प्रकाष्ठ आदि के ई–आक्शन में भाग लेने हेतु E-Auction क्रेता पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने का कष्ट करें। इस हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम की लागू सभी शर्तें एवं प्रक्रिया का पालन हेतु (जो लागू न हो उसे काट दें) मैं/हम/ बाध्य हैं/होगें। मेरे /हमारे द्वारा उपरोक्तानुसार प्रस्तुत विवरण मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है। यदि कोई सूचना असत्य एवं भ्रामक पायी जाती है तो उत्तराखण्ड वन विकास निगम मेरा/हमारा पंजीकरण निरस्त कर सकता है और मेरे/हमारे विरूद्ध विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है।

भवदीय,

<u>**संलग्नक – यथोपरि**</u>

नाम ....
पता ....
....
दूरभाष नं0 ....

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रधान कार्यालय – अरण्य विकास भवन, 73 नेहरु रोड, देहरादून
दूरभाष :–0135–2657610, फैक्स :–0135–2655488, ई–मेल: vanvikas12@gmail.com

E-Auction क्रेता पंजीकरण प्रमाण पत्र

सं0 .... / .... / वर्ष .... दिनांक ....

मै0 ....

पता ....

....

प्रतिनिधि का सत्यापित छायाचित्र

दूरभाष .... जिनके प्रतिनिधि श्री ....

पुत्र श्री ....को उत्तराखण्ड वन विकास निगम के ई–ऑक्शन से वनोपज प्रकाष्ठ आदि के क्रय हेतु E-Auction क्रेता पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। उत्तराखण्ड वन विकास निगम के डिपुओं में होने वाले वनोपज प्रकाष्ठ/जलौनी के बिक्री बावत ई–ऑक्शन में भाग लेने हेतु अतिधिकृत होगे।

क्रेता पंजीकरण वर्ष ....(1 अप्रैल ....से..................दि0............ मार्च .... तक)।

क्रेता का स्थायी आयकर खाता (PAN) संख्या .... तथा GST संख्या .... है।

क्रेता द्वारा जमानत हेतु रू0 20,000/– (रूपये बीस हजार) धनराशि बंधक (Mortgage) सहित की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी संख्या .... /दिनांक .... पो0ओ0/बैंक .... जो प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक .... के पदनाम बंधक है, जमा की गई है तथा पंजीकरण शुल्क रू0 1,000 (एक हजार) नकद/ई–डिपोजिट जमा किया गया है जिसकी धन प्राप्ति संख्या .... दिनांक .... जारी की गयी है।

उक्त क्रेता पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक...की संस्तुति पर जारी किया जा रहा है।

सक्षम अधिकारी

....

....